भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 172*

दिनांक दिसम्बर 06, 2024 को उत्तर के लिए

ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएं

***172 :श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल .**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास के लिए कोई नई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले सात वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में उक्त योजना के तहत आवंटित बजट का जिलावार ब्यौरा क्या है-वर्ष/वार-;

(घ) क्या सरकार का इस दिशा में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को शामिल करके या किसी अन्य योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(.ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएं' के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *172 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): सरकार ग्रामीण महिलाओं सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'महिला प्रेरित विकास' 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए कई पहलें की गई हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत लगभग 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया, जो देश में ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) के तहत यह अनिवार्य है कि इस योजना (मनरेगा) के तहत सृजित रोजगार में से कम से कम एक तिहाई महिलाओं को दिए जाने चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना में मकानों का स्वामित्व महिला को देने पर विशेष जोर दिया जाता है और यह निर्णय लिया गया है कि मकान का आवंटन, कुछ अपवादों के साथ, महिला के नाम पर या पति और पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा।

'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 11.60 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 10.30 करोड़ महिलाओं को 'उज्जवला योजना' के अंतर्गत स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन देने तथा 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 15.10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित सभी महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौशल भारत मिशन भी शुरू किया है। सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता दोनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जैसी योजनाएं महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' के तहत दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक के 84% ऋण महिलाओं को उपलब्ध कराए गए हैं।

महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए श्रम संहिताओं में कई सहायक प्रावधान जैसे मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन करके पहले दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इस अधिनियम में महिला श्रमिकों को सवेतन मातृत्व अवकाश देने और पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों में निर्धारित दूरी के भीतर शिशुगृह की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है।

जमीनी स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के लिए कम से कम 33%

सीटें आरक्षित की हैं। आज, पीआरआई में 14.50 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% है।

महिला सशक्तीकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार द्वारा 28 सितंबर, 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (संविधान एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना रही है जिसके तहत लोक सभा (लोकसभा) और दिल्ली एनसीटी की विधानसभा सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए देश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू कर रहा है, जिन्हें तीन घटकों अर्थात (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; और (3), कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में बांटा गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतियों के प्रस्ताव पर जोर देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" घटक महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत के घटक शामिल हैं।

- क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-** जिला स्तर पर स्थित एक संस्था जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।
- ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) -** महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है।
- ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) -** बीबीबीपी मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।
- घ. **नारी अदालत-** एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" घटक महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर पीएमएमवीवाई के तहत 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** - संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अभाव को दूर करने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का भी कार्य करता है।

)ii) 2 सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण. 0(मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को) :प्राथमिक खंडों 3i) वर्ष से कम आयु 6 के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों)14-18 वर्षके लिए पोषण (सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा]3-6 वर्ष) और [iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

)iii) :मिशन वात्सल्य मिशन वात्सल्य एक केन्द्र ((आईसीपीएस) पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना) है (सीएसएस) प्रायोजित योजना, जिसे राज्योंसंघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि / देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों घन करने वाले बच्चोंऔर कानून का उल्लं (सीएनसीपी) के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत (सीसीएल) संस्थागत देखभाल शामिल है-देखभाल और गैर, जिसका उद्देश्य है) :i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना)ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भआधारित समाधान -) विकसित करनाiii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना)iv) आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा अभिसरण कार्रवाई को मजबूत करना।

यह योजना चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

ये पहलें महिलाओं और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और देश में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए बनाई गई परिवर्तनकारी योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं और बाल कल्याण के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया जाता है। इनका उद्देश्य अधिक समावेशी, समतामूलक, न्यायसंगत और सहायक समाज बनाना है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को आवंटित /जारी की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाएं" के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *172 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

डीएवाई-एनआरएलएम योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को आवंटित की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा

आवंटित की गई निधि (करोड़ रुपये)						
2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
20.00	40.00	60.00	40.00	60.02	45.00	55.00

*****